न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 83/2021 दायर दिनाँक 15.04.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. आकांक्षा पत्नी श्री रघुनाथ जाति जाट निवासी बिंचावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी

दिनाँक 19.04.2021

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ग्राम बिंचावा की स्थाई निवासीनी है तथा वादीया एकल खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 127/895 रकबा 0.2456 हैक्टयर वाके सरहद ग्राम डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कंला में अवस्थित है। वादीया की खातेदारी व हक अधिकार की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीया का वास्तविक नाम आकांक्षा पत्नी रधुनाथ है जो कि सही है।

वादीया द्वारा कृषि कार्य हेतु एवं अन्य परियोजनार्थ ऋण लेने के लिए पटवारी से नकल खतौनी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ अंकित हो रखा है जबकि वादीया के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में वादीया का नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ अंकित है जो कि वादीया का वास्तविक व सही नाम है। संवत 2070—2073 की खतौनी में वादीया का नाम आकांक्षा पत्नी रघुानाथ दर्ज हो रखा है।

वादीया का गलत नाम अंकन होने से वादीया को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है तथा बैंक आदि से के0सी0सी0 में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादीया राजस्व रेकर्ड में अपना नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ के स्थान पर आकांक्षा पत्नी रधुनाथ दर्ज करवाना चाहती है। जिससे दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना वादी है कि:–

दावा डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी फरमाया जाकर वादीया के खातेदारी के खेत खसरा सं0 127/895 रकबा 0.2456 हैक्टयर वाके सरहद डाबगांव में वादीया का नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ के स्थान पर आकांक्षा पत्नी रघुनाथ राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उप तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट अनुसार आकाशा पत्नी रूघनाथ के स्थान पर आकांशा पत्नी रघुनाथ दुरूस्त किया जाना उचित है। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकनानुसार वादीया के आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में वादीया का नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बिंचावा ने भी वादीया का सही व वास्तविक नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ बताया है। वादीया ने अपने शपथ पत्र में भी अपना सही व वास्तविक नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ बताया है। संवत 2070–2073 की खतौनी में वादीया का नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ दर्ज हो रखा है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। उप तहसीलदार खाटू खुर्द की रिपोर्ट अनुसार वादीया का नाम आकांक्षा पत्नी रघुनाथ दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 127/895 रकबा 0.2456 हैक्टयर में वादीया का नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ के स्थान पर आकांक्षा पत्नी रघुनाथ दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.04.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 83/2021 दायर दिनाँक 15.04.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. आकांक्षा पत्नी श्री रधुनाथ जाति जाट निवासी बिंचावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 19.04.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 127/895 रकबा 0.2456 हैक्टयर में वादीया का नाम आकाशा पत्नी रूघनाथ के स्थान पर आकांक्षा पत्नी रघुनाथ दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.04.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner